पत्रांक–2/यो०–5012/2018–
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

अनोंपचारिक रूप से आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
(ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना ।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2018–19 में ''नेशनल कैरियर सर्विस'' स्कीम अंतर्गत **Mission Mode Project For Interlinking Of Employment** के तहत बिहार राज्य के नियोजनालयों के लिए **IT Equipment, Job Fair, Refurbishing,** नये मॉडल कैरियर सेन्टर के स्थापना एवं मानदेय का भुगतान हेतु उपबंधित केन्द्रांश मद में ₹ 10,00,00,000/–एवं राज्यांश मद में ₹ 6,66,67000/– कुल ₹ 16,66,67,000/–(रूपये सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–20.06.2018 को विभागीय प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में विभागीय स्थायी वित्त समिति की आहुत बैठक में लिए निर्णय के आलोक में केन्द्र प्रायोजित ''नेशनल कैरियर सर्विस'' स्कीम अंतर्गत **Mission Mode Project For Interlinking Of Employment** के तहत बिहार राज्य के नियोजनालयों के लिए IT Equipment, Job Fair, Refurbishing, नये मॉडल कैरियर सेन्टर के स्थापना एवं मानदेय का भुगतान हेतु केन्द्रांश मद में ₹ 10,00,00,000/–एवं राज्यांश मद में ₹ 6,66,67000/– कुल उपबंधित ₹ 16,66,67,000/–(रूपये सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती हैः–

(A). केन्द्रांश मद में उपबंधित ₹ 3,00,00,000 /– (तीन करोड़) एव राज्यांश मद मे उपबंधित **₹ 1,20,00,000 /–** (एक करोड़ बीस लाख) कुल ₹ 4,20,00,000 (चार करोड़ बीस लाख) मात्र के व्यय पर राज्य के नियोजनालयों को **Interlinking of Employment Exchanges to the National Career Service Portal** से जोड़ने हेतु **IT Equipment** जैसे डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, एम०एफ०डी०एस०, इत्यादि का क्रय किया जायगा एवं ब्राडबैन्ड कनेक्टविटी का अधिशठापन कार्यालयों में किया जायगा। इस कार्य हेतु ₹ 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र की दर से प्रत्येक नियोजनालय /कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित किया जायेगा साथ ही राशि से नये मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना पर भी व्यय किया जायेगा।

(B) केन्द्रांश मद में उपबंधित ₹ 4,00,00,000 /– (चार करोड़) एव राज्यांश मद मे उपबंधित ₹ 3,00,00,000 /– (तीन करोड़) कुल ₹7,00,00,000 (सात करोड़) मात्र के व्यय पर राज्य के 38 नियोजनालयों द्वारा जिलास्तरीय **Job Fair** का आयोजन जिला नियोजनालय द्वारा किया जायेगा एवं 09 प्रमण्डलों में **Mega Job Fair** का आयोजन बिहार कौशल विकास मिशन के **NSDC** के सहयोग से किया जायेगा। जिला स्तरीय **Job Fair** के लिए प्रति नियोजनालयों ₹ 2,00,000/–(रूपये दो लाख) मात्र की दर से राशि का आवंटन नियोजनालयों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दिया जायेगा जबकि प्रमण्डल स्तर पर आयोजित **Mega Job Fair** के लिए होने वाले राशि को निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना में ₹ 2,00,00,000/– (रूपये दो करोड़) मात्र **Pooled** किया जायेगा।

(C) केन्द्रांश मद में उपबंधित ₹ 2,97,60,000 /– (दो करोड़ सनतान्वे लाख साठ हजार) एव राज्यांश मद मे उपबंधित **₹ 2,45,71,000 /–** (दो करोड़ पैतालीस लाख इक्हतर हजार) कुल ₹ 5,43,31,000 (पाँच करोड़ तैंतालीस लाख इक्तीस हजार) मात्र के व्यय पर राज्य के नियोजनालयों में **Refurbishing** के कार्य हेतु प्रति कार्यालय **₹ 5,00,000** की दर से नियोजनालयों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटन दिया जायेगा साथ ही राशि से नये मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना पर भी व्यय किया जायेगा।

(D). केन्द्रांश मद में उपबंधित ₹ 2,40,000 /– (दो लाख चालीस हजार) एव राज्यांश मद मे उपबंधित ₹ 96,000 /–(छियानवे हजार) मात्र कुल ₹ 3,36,000 (तीन लाख छतीस हजार) मात्र के व्यय पर राज्य में नये/कार्यरत मॉडल कैरियर सेन्टर में प्रतिनियुक्त यंग प्रोफेशनल के मानदेय पर व्यय किया जायेगा।

2. इस स्कीमन्तर्गत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष–02–रोजगार सेवाएँ, लघु शीर्ष–101–रोजगार सेवाएँ, उप शीर्ष–0214/0314–''नेशनल कैरियर सर्विस'',केन्द्रांश/राज्यांश मद में उपबंधित राशि माँग संख्या–26, केन्दांश विपत्र कोड–**26.2230.02.101.0214** एवं राज्यांश विपत्र कोड– **26.2230.02.101.0314** के A हेतु विषय शीर्ष–''0214/0314 .13.01''–कार्यालय व्यय, B हेतु विषय शीर्ष–''0214/0314 .20.02''–कॉन्फ्रेंस कार्यशाला सेमिनार, C हेतु विषय शीर्ष–''0214/0314 .21. 01''–सामग्री एवं पूर्तियॉ एवं D हेतु विषय शीर्ष–''0214/0314 .28.02''–संविदा सेवाएं मद से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय के लिए सहायक निदेशक (नियोजन), सभी जिला नियोजनालाय के लिए जिला नियोजन पदाधिकारी, सभी विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र के लिए नियोजन पदाधिकारी एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए सहायक निदेशक (नियोजन), मुख्यालय, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार, से की जाएगी।
5. राशि का व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत सीमित रखा जायेगा।
6. इस स्कीम हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपबंधित है।
7. केन्द्रांश मद में राशि का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा राशि **Revalidition** के उपरांत किया जायेगा।
8. इस स्कीम में राशि का व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता 60:40 होगा।
9. प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य मंत्री (वित्त) का अनुमोदन पृ0–26/टि0 पर प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन पृ0–22/टि0 पर प्राप्त है।
11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन पृ0–30/टि0 पर प्राप्त है।
12. प्रस्ताव में आंतरिक वितीय सलाहकार का सहमति पृ०–30/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2/यो0–5012/2018– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपि– राज्य के सभी जिलों के जिला कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जला पदाधिकारी /सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन), मुख्यालय सहित/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी (विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों सहित)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–2/यो0–5012/2018– 932 पटना–01, दिनांक– 11.09.18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री,श्रम संसाधन विभाग बिहार,पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव /आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना के आप्त सचिव/ वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /श्री राजमुनी, सहायक निदेशक (नियेाजन), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, 3/10 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011/लेखा शाखा/स्टेशनरी पटल, निदेशालय नियोजन, मुख्यालय/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

10/9/18
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

D:\RAJNISH WORK\ARVIND SIR\SANCTION PLAN2018-19 NCS.DOCX [2]